सत्यमेव जयते	**राजस्थान राजपत्र विशेषांक**	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

कार्तिक 30, सोमवार, *शाके* 1944-नवम्बर 21, 2022

Kartika 30, Monday , Saka 1944- November 21, 2022

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नम्बर 21, 2022

संख्या एफ.3(1)(8)प्रथम/निर्वा/2022/9938 :–भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता
प्रमुख शासन सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड-II दिनांक: 19 नवंबर, 2022

अधिसूचना

यतः, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा कर दी गई है और घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन दोनों राज्यों में आम चुनावों की अधिसूचना नीचे उल्लिखित तारीखों पर जारी की गई थी:

1. 17.10.2022 को हिमाचल प्रदेश, एवं
2. 05.11.2022 और 10.11.2022 को गुजरात

2. यतः, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/83/2022 दिनांक 05.11.2022 के तहत **उत्तर प्रदेश के 21- मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा के 01 - पदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 21-सरदारशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 93 - कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 80 - भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश के 37 - रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन** के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है एवं प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/87/2022 दिनांक 08.11.2022 के तहत **उत्तर प्रदेश के 15 - खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन** के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है।

3. यतः, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/88/2022 दिनांक 10.11.2022 के तहत **उत्तर प्रदेश के 37 - रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन** के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया है।

4. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है *कि " (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।*

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी:

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"।

5. यतः, आयोग ने 12.11.2022 (शनिवार) को पूर्वाहन 8.00 बजे से 05.12.2022 (सोमवार) को अपराहन 5.30 बजे तक के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया था, जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित था ।

6. अब, इसलिए, **आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/83/2022 दिनांक 05.11.2022 एवं संख्या ईसीआई/पीएन/87/2022 दिनांक 08-11-2022** द्वारा उप निर्वाचन की घोषणा के दृष्टिगत,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, **अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खंड.I दिनांक 10.11.2022 के अधिक्रमण में, 12.11.2022 (शनिवार) को पूर्वाहन 8.00 बजे से 05.12.2022 (सोमवार) को अपराहन 6.30 बजे** तक के बीच की अवधि को,ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान **उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उपर्युक्त उप-निर्वाचनों** के

संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन **उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उपर्युक्त उप-निर्वाचनों** में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से]

एस.बी.जोशी,
प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.II Dated: 19th November, 2022

NOTIFICATION

Whereas, the Election Commission has already announced the program for General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat as per the schedule announced and Notifications for the General Elections in these two States were issued on the dates mentioned below: -

(i) Himachal Pradesh on 17.10.2022, and

(ii) Gujarat on 05.11.2022 and 10.11.2022

2. Whereas, the Election Commission vide its Press Note No. ECI/PN/83/2022 dated 05-11-2022, has announced schedule for **bye-elections in 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 01-Padampur Assembly Constituency of Odisha, 21-Sardarshahar Assembly Constituency of Rajasthan, 93-Kurhani Assembly Constituency of Bihar, 80-Bhanupratappur(ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh & 37-Rampur Assembly Constituency of Uttar Pradesh** and vide its Press Note No. ECI/PN/87/2022 dated 08-11-2022, has announced schedule for **bye-election in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh.**

3. Whereas, the Election Commission vide its Press Note No. ECI/PN/88/2022 dated 10-11-2022, has revised the schedule of **bye-election in 37-Rampur Assembly Constituency of Uttar Pradesh.**

4. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that *"(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.*

(2) For the purposes of sub-section (1), Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely: —

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

(b) In case of a by-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

5. Whereas, the Commission had notified the period between 8:00 A.M. on 12-11-2022 (Saturday) and 5.30 P.M. on 05-12-2022 (Monday) as the period during which conducting any Exit Poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat; were prohibited.

6. Now, therefore, in view of announcement of bye election vide **Commission's Press Note No. ECI/PN/83/2022 dated 05-11-2022 and No. ECI/PN/87/2022 dated 08-11-2022**, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, **in supersession of its notification No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.I, dated 10-11-2022**, hereby notifies the period between **8:00 A.M.** on **12-11-2022 (Saturday) and 6:30 P.M.** on **05-12-2022 (Monday)** as the period during which conducting any Exit Poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the **aforesaid General elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat and abovementioned bye-elections**, shall be prohibited.

7. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter, including results of any Opinion Poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hour ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with the **aforesaid General elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat and abovementioned bye-elections**.

By order,

S.B.JOSHI,

PRINCIPAL SECRETARY.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।